जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि. / प्र.नि. / मु.अ.(सी.एवं पी.) / अ.अ.(आर.ए.–सी.) / फा / प्रे. 1218 दि. 3.10.08

आदेश

विषयः गैर आबादी क्षेत्र में कृषि कुओं के समीप छितराये (Scattered) घरों में "घरेलू श्रेणी" के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

गैर आबादी क्षेत्र में कृषि कुओं के समीप छितराये (Scattered) घरों में एफ.आर.पी. (F.R.P.) लागू करने से पहले सिंगल फेज सप्लाई हेतु 3 फेज ट्रासंफार्मर से ही घरेलू कनेक्शन को बिजली मिलती थी। अर्थात उन्हे कृषि कार्य हेतु निर्धारित ब्लॉक (Block Hours) से अधिक समय के लिये बिजली मिलती थी। एफ.आर.पी. (F.R.P.) के पश्चात् इन घरेलू कनेक्शनों की विद्युत सप्लाई 3 फेज ट्रांसफार्मर से हटानी पड़ी थी। इस समस्या के निवारण हेतु निगम द्वारा सिंगल फेज विद्युत तंत्र (System) फैलाया जाने के आदेश क्रमांक 2555 दिनांक 24.02.07 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम / 376) एवं क्रमांक 1012 दिनांक 24.07.07 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम / 401) द्वारा जारी किये गये थे।

इन आदेशों के अनुसार यथासंभव 5 से 10 केवीए क्षमता के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद्युत भार केन्द्र (Load Center) पर लगाकर उपरोक्त कनेक्शन जारी करने है। यदि 5 से 10 केवीए के ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होने पर इससे अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर भी लगाये जा सकते है।

तत्पश्चात आदेशानुसार सिंगल फेज विद्युत तंत्र फैलाने हेतु स्थापित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से 500 मीटर की परिधि में पड़ने वाले उपभोक्ता को ही कनेक्शन दिये जाने हेतु आदेश क्रमांक 1012 दिनांक 24.07.07 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम / 401) जारी किया गया।

अतः निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम / 376) के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगाये है उन्हीं से 500 मीटर की दूरी तक नये घरेलू कनेक्शन भी दिये जा सकते है।

आज्ञा से

(एम.एस. फगेरिया)
मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर